न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कपूर शंकर मान (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2018	19.01.2018	26.03.2019

अनवान

1. शंकर पिता गिरधारी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी जवानपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
2. भोनीराम पिता गिरधारी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी जवानपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मूली पत्नि भैरूलाल जाति नायक आयु बालिग निवासी भीमगढ़ तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

रेस्पोर्डेंट

—:: **प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश ग्राम पंचायत भीमगढ़ का नामान्तरकरण संख्या 3182 ग्राम भीमगढ़ दिनांक 20.12.2017** ::—

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक अपील खिलाफ रेस्पोर्डेंट्स के इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण आदेश सर्वथा खिलाफ कानून एवं वाकेआत के होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीमगढ़ पटवार क्षेत्र भीमगढ़ तहसील राशमी के हल्के बेरूनी में आराजी नम्बर 2079, 2082, 2085 मृतक खातेदार गिरधारी पिता गंगाराम जाति गुर्जर (अपीलांट्स के पिता) निवासी जवानपुरा तहसील राशमी के खातेदारी अधिकार से दर्ज है मृतक खातेदार गिरधारी की मृत्यु उपरांत पटवार हल्का भीमगढ़ के पटवारी ने उक्त आराजीयात का रेस्पोर्डेंट के पक्ष में दिनांक 21.04.1997 का वसीयत नामा होने के आधार पर रेस्पोर्डेंट श्रीमती मूली के नाम नामान्तरकरण संख्या 3182 दिनांक 20.12.2017 भरकर भू अ0नि0 भीमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर भू अ0नि0 ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि वसीयत करीब 20 वर्ष पुरानी है वसीयत से संबंधित आराजीयात बाबत् कोई वाद चल रहा है या नहीं किसी को कोई आपत्ति है या नहीं उक्त वसीयत में वर्णित भूमि स्व-अर्जित है या नहीं आदि-आदि की जांच हेतु तहसीलदार राशमी के यहां से सुनवाई होकर निर्णय उपरांत निर्णय अनुसार ही नामान्तरकरण निर्णित

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कराया जाना उचित रहेगा। परन्तु भू अ0नि0 की रिपोर्ट को नजर अंदाज कर पटवारी ने उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार राशमी से मार्गदर्शन लिये बिना ग्राम पंचायत भीमगढ़ में नामान्तरकरण को प्रस्तुत कर दिया ग्राम पंचायत भीमगढ़ व सरपंच ग्राम पंचायत भीमगढ़ ने भी उक्त नामान्तरकरण संख्या 3182 पर भू अ0नि0 की रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर उक्त वसीयत के बारे में बिना जांच किये मृतक के वैध वारिसान (अपीलांट्स) को बिना कोई सूचना दिये बिना पूछताछ किये मन माफिक रूप से अधिक जल्दबाजी कर बिना विधिक प्रकिया अपनाये क्षेत्राधिकार से परे जाकर एक तरफा रूप से विधि के विपरीत उक्त नामान्तरकरण फैसल कर दिया है। जिसके विरुद्ध अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील पेश है। यह कि मात्र अपीलांट्स ही मृतक खातेदार गिरधारी के जाईन्दा पुत्र होकर प्रथम श्रेणी के वारिसान है एवं वादग्रस्त आराजीयात के कानूनन खातेदार काश्तकार है तथा अपीलांट्स का ही वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है। यह कि मृतक खातेदार गिरधारी की ओर से तथाकथित वसीयत दिनांक 21.04.1997 रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित नहीं की गई है। मृतक खातेदार ग्राम जवानपुरा के निवासी है तथा वसीयतग्रहिता रेस्पोडेंट ग्राम भीमगढ़ की निवासिया है मृतक खातेदार की जाति गुर्जर है तथा वसीयत ग्रहिता की जाति नायक है। वसीयत ग्रहिता रेस्पोडेंट श्रीमती मूली ने कभी भी मृतक खातेदार वसीयतकर्ता की सेवा चाकरी नहीं की है न ही उसके (मृतक खातेदार के) यहॉ कभी आई गई है रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित कथित वसीयत बनावटी होकर फर्जी है वसीयतकर्ता गिरधारी ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त तथाकथित वसीयत के निष्पादन करने बाबत् अपीलांटस के सामने कोई बात नहीं की। न ही रेस्पोडेंट श्रीमती मूली व उसके परिजनों ने तथाकथित वसीयत के बारे में कोई जिक्र किया मृतक खातेदार स्वभाव से भोला व अनपढ़ काश्तकार था तथा काफी समय पहले मृतक खातेदार की मानसिक स्थिति भी सही नहीं रही थी। यह कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में न्यायालय श्रीमान में एक वाद भी दिनांक 20.12.2017 को जैर कार्यवाही था तथा वादपत्र के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र भी जैर कार्यवाही था जिसके प्रकरण संख्या 67/17 (प्रार्थना पत्र) होकर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में न्यायालय श्रीमान द्वारा रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश भी दिनांक 20.12.2017 को जारी किया गया था जो आदेश पटवार हल्का भीमगढ़ के पटवारी के विरुद्ध भी जारी था तथा उक्त आदेश के जारी होने की पटवार हल्का के पटवारी को भी जानकारी थी। यहॉ यह भी निवेदन करना उचित है कि मृतक खातेदार गिरधारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र भी दिनांक 20.12.2017 को शाम करीब 4.00 बजे ग्राम पंचायत अडाना के सचिव द्वारा जारी होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 3182 को भरने की कार्यवाही भी पटवार हल्का द्वारा नेचुरल रूप से उक्त समय के बाद ही शुरू हुई होगा तथा उसी दिन

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

भू अ0नि0 की रिपोर्ट होकर ग्राम पंचायत द्वारा उसी दिन (दिनांक 20.12.2017 को) नामान्तरकरण फैसल करना आवश्यक नहीं था। परन्तु अधिक जल्दी में बिना कानूनी प्रकिया अपनाये नामान्तरकरण फैसल किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलांट्स के पक्ष में मृतक खातेदार गिरधारी (अपीलांट्स के पिता) की ओर से गवाहान की मौजूदगी में स्टॉम्प पर दिनांक 29.05.2015 को प्रथम एवं अन्तिम वसीयत निष्पादित की हुई है। यह कि रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित कथित वसीयत दिनांक 21.04.1997 फर्जी है जबकि अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 29.05.2015 को निष्पादित प्रथम एवं अंतिम वसीयत सही होकर प्रभावी वसीयत है। यह कि अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण आदेश की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2017 को हुई थी। अपील अन्दर अवधि 30 दिन में पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश ग्राम पंचायत भीमगढ ब नामान्तरकरण संख्या 3182 ग्राम भीमगढ दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार गिरधारी पिता गंगाराम गुर्जर निवासी जवानपुरा के खातेदारी दर्ज आराजी नम्बर 2079, 2082, 2085 मौजा भीमगढ पटवार हल्का भीमगढ तहसील राशमी का नामान्तकरण अपीलांट्स के पक्ष में फैसल किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

इस पर अपीलांट्स की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.01.2018 को रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 13.03.2019 को उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी।

पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपील पत्रावली में ग्राम पंचायत भीमगढ़ की ओर से किए गये अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली नहीं है। न ही ऐसी पत्रावली की प्रमाणित प्रति आदि है तथा न ही पत्रावली से संबंधित कोई विवरण/तथ्य है। लिहाजा ग्राम पंचायत भीमगढ़ से अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने से संबंधित पत्रावली तलब की गई। दिनांक 22.03.2019 को ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने इस बाबत् अपने पत्र के साथ अपीलधीन नामान्तरकरण निर्णित करने की दिनांक 20.12.2017 को हुई ग्राम पंचायत की बैठक से संबंधित कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति पेश की। उक्त पत्र में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीमगढ़ ने इसके अलावा उक्त नामान्तरकरण से संबधित कोई पत्रावली ग्राम पंचायत के पास नहीं होना बताया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को कराया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने रेस्पोडेंट के पक्ष में की गई वसीयत की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति पेश की तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने वसीयतकर्ता के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति पेश की। उक्त

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

दस्तावेजों का अवलोकन उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को कराया। उभपक्ष पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गई मौखिक बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने मौखिक बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि विधि विरूद्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरटी 2008(1) पेज संख्या 241 का अवलोकन कराया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने मौखिक बहस में रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधि संगत बताते हुए अपील अपीलांट् खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने मौखिक बहस में एक दूसरे की वसीयत फर्जी होना बताया।

पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों व विधि के सूसंगत प्रावधानों पर मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि बहस के दौरान उभयपक्ष द्वारा एक दूसरे के पक्ष में की गई वसीयत को फर्जी होना बताया है। वसीयत फर्जी है या सही? इस बाबत वसीयत की वैधता जांच करने हेतु राजस्व न्यायालय/राजस्व प्राधिकारी सक्षम नहीं है। वसीयत की वैधता की जांच सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की जाती है। पत्रावली के तथ्यों से स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 20.12.2017 को जारी किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का अंकन भी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 को किया गया है तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण की जांच भी दिनांक 20.12.2017 को की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच टिप्पणी में उक्त प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जांच पश्चात् नामान्तरकरण तस्दीक करना अंकित किया है। भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी उपरांत नामान्तरकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत भीमगढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत भी दिनांक 20.12.2017 को किया गया है। ग्राम पंचायत से तलब की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी भीमगढ़ द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने के संबंध में केवल ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति ही होना बताया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण को बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से स्वीकार करना अंकित है। इसके अलावा अन्य कोई जांच पत्रावली नहीं होना ग्राम पंचायत भीमगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पत्र में अंकित किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गई है तथा प्रकरण से संबंधित कोई जांच पत्रावली भी रिकार्ड पर नहीं है। नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है लेकिन पत्रावली में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भीमगढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधि के उक्त उपबंधों की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 3182 मौजा भीमगढ़ निर्णय दिनांक 20.12.2017 द्वारा ग्राम पंचायत भीमगढ़ राजस्थान भू राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान की पालना नहीं कर निर्णित करने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार राशमी को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे वसीयत विलेखों का सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट/प्रशासन पत्र जारी करवाकर तहसीलदार राशमी के समक्ष पेश करें। तहसीलदार राशमी को निर्देशित किया जाता है कि विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में पूर्ण जांच उपरांत निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। तहसीलदार राशमी को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.03.2019 को सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला कोटा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.3.19

(कपूर शंकर मान)
उपखण्ड अधिकारी
राशमी